रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246187
CG-DL-E-31052023-246187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2023/ज्येष्ठ 10, 1945
No. 328] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2023/JYAISHTHA 10, 1945

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

सा.का.नि. 402(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन .--- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आसीन पदधारी जिन्हें नियमित आधार पर तारीख 01 जून, 2022 के कार्यालय आदेश सं. ए-32004/1/2022-प्रशा.। द्वारा उक्त पद पर नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा उक्त पद पर इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व की गई सेवा में उन्हें परिवीक्षा, पुष्टि, पदोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3.पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .--- इस पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि .--- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य विषय वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.--- वह व्यक्ति,----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.---इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 8 (47600-511100 रू.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स स्तर – 7 (44900-142400 रूपए) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दो वर्षों की नियमित सेवा और लेखा, प्रशासन तथा स्थापना, आदि में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां ऐसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रूपए) या समतुल्य में पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्षों की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखते हो: (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; (II) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में लेखा या प्रशासनिक या स्थापना संबंधी कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन

	वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष; (2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य; और (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. जे-11012/1/2021-योजना]

एम.जेना, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Administrative Officer in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Senior Administrative Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial constitution -The incumbents holding the posts of Senior Administrative Officer who were appointed on the regular basis vide Office Order No.A-32004/1/2022-Adm.I dated the 1st June, 2022 to the said post and the service rendered by them in the said post before commencement of these rules shall be taken into account for the purposes of probation, confirmation, promotion, etc.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Administrative Officer.	10* (2023) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-511100).

Whether Selection or Non-Selection Post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100% Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by Promotion or Deputation/absorption, grades from which Promotion or Deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Administrative Officer in level 7 of the pay matrix (Rs.44900-142400) with 2 years of regular service in the grade and having undergone two to four weeks training in Accounts, Administrative and Establishment, etc. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research Institutions or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-7 (Rs.44900-142400) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and Possessing the following educational qualification and experience:- A degree from a recognised university or institute; At least three years experience in Accounts or Administrative or Establishment work in a Government office or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisation or recognised university or institution.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of Deputation (including short term contract) including period of Deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by Deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.**
12	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Chairman; 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India - Member; and 3. Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (including short term contract).

[F. No. J-11012/1/2021-Planning]

M. JENA, Director (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2022.05.27 21:58:38 +05'30'